संख्या-59/2025/001-210डब्लू-25-27-3099-211-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 नवम्बर, 2025

विषय:रिट याचिका संख्या-24109/2024 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के क्रम में अवमाननावाद संख्या-3835/2025 इन्द्रदेव सिंह व अन्य बनाम श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 जिलाधिकारी जनपद चित्रकूट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-703/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/परियोजना-बेतवा, दिनांक 25.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी से सम्बन्धित रसिन बांध परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका संख्या-24109/2024 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के क्रम में अवमाननावाद संख्या-3835/2025 इन्द्रदेव सिंह व अन्य बनाम श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 जिलाधिकारी जनपद चित्रकूट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 26,57,600.00 (रूपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार छह सौ मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी से सम्बन्धित रसिन बांध परियोजना के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु रिट याचिका संख्या-24109/2024 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2024 के क्रम में अवमाननावाद संख्या-3835/2025 इन्द्रदेव सिंह व अन्य बनाम श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 जिलाधिकारी जनपद चित्रकूट व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2025 के अनुपालन हेतु धनराशि रूपये 26,57,600.00 (रूपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार छह सौ मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 26,57,600.00 (रूपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार छह सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-31-050-10-16-24 पूर्ण परियोजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (दक्षिण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
6- मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, चित्रकूट।
9- अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा।
10- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, कर्वी।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in